

08/03/25

पत्रावली वाले निधि पैसा डुपि उअय क उअय प्रान्त
स्वीकार डिम जाता है। विहित निधि शामिल डिम उअय
पत्र जारी लो नैबर से कड लो

आदेश पुनाम उअय

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GOMS
2025/152



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं० 51/25 G.O.M.S.- 2025/152 दायर दिनांक:- 07-03-2025
पृथ्वी पुत्र श्री रामूराम जाति विश्नोई साकिन जोड़किया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज०
-----प्रार्थी

बनाम

- 1-दुलीचन्द पुत्र श्री हनुमान जाति मेघवाल साकिन सरदारपुरा बीका तहसील सूरतगढ
- 2-पप्पूराम पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति बिश्नोई साकिन 36 एम ओ डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
- 3-राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

-----अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) , 209 आर टी ए

उपस्थित :-

- 1- श्री राजवीर भादू अभिभाषक प्रार्थी
- 2- श्री महेन्द्र कुमार , सुर्य प्रकाश चौहान अभिभाषक अप्रार्थी न० 1 व 2
- 3- पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ

—:- निर्णय —:-

दिनांक:- 08.07.2025

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी , अप्रार्थी न० 1 व 2 के अभिभाषक एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से भूमि वाके चक 4 डी बी एन तहसील सूरतगढ के खाता सं० 35/34 के प०न० 53/278 मु०न० 53 के किला न० 1/1 में 0.228 है० नहरी, 1/2 में 0.025 है० खाला, 10-11-20/0.759 है० नहरी, 21/1 में 0.038 है० नहरी =1.050 है० नहरी मय खाला , प०न० 54/278 मु०न० 54 के किला न० 4/1 में 0.228 है० नहरी, 4/2 में 0.025 है० गै०मु० रास्ता, 5/1 में 0.228 है० नहरी, 5/2 में 0.025 है० गै०मु० रास्ता 6-7-14 ता 17-23 ता 25/1.771 है० नहरी = 2.783 है० नहरी मय गै०मु० रास्ता कुल 3.833 है० नहरी मय गै०मु० रास्ता खाला खातेदारी भूमि , अप्रार्थी सं० 1 व 2 के नाम से भूमि वाके चक 4 डी बी एन तहसील सूरतगढ के खाता सं० 28/26 के प०न० 53/279 मु०न० 55 के किला न० 1/1 में 0.016 है० , 10/2 में 0.016 है०, 11/1 में 0.016 है०, 20/2 में 0.016 है० कुल 0.064 है० नहरी खातेदारी भूमि , अप्रार्थी सं० 1 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 4 डी बी एन तहसील सूरतगढ के खाता सं० 36/35 के प०न० 53/278 मु०न० 53 के किला न० 2/1 ता 9, 12 ता 19, 21/2 ता 25/2 में 5.275 है० नहरी मय खाला खातेदारी भूमि में 1/8 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थी को अपने रकबा में आवागमन के लिए चक 4 डी बी एन तहसील सूरतगढ के प० न० 53/279 मु०न० 55 के किला न० 21 में चल रहे रास्ता से होते हुये अप्रार्थी सं० 1 व 2 की भूमि चक 4 डी बी एन तहसील सूरतगढ के प०न० 53/279 मु०न० 55 के किला न० 1/1 में 0.016 है० , 10/2 में 0.016 है०, 11/1 में 0.016 है०, 20/2 में 0.016 है० कुल 0.064 है० नहरी खातेदारी भूमि में चालू रास्ता से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के आवागमन कर रहा है । प्रार्थी की भूमि प०न० 53/278 के किला न० 21/1 में 0.004 है० दक्षिण पास (20फुट गुणा 24.75 फुट) से होकर अप्रार्थी न० 1 अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करता है । लेकिन चक 4 डी बी एन तहसील सूरतगढ के प०न० 53/279 मु०न० 55 के किला न० 1/1 में 0.016 है० , 10/2 में 0.016 है०, 11/1 में 0.016 है०, 20/2 में 0.016 है० कुल 0.064 है० नहरी खातेदारी भूमि में चालू रास्ता एवं चक 8 डी बी एन के प०न० 53/278 के किला न० 21/1 में 0.004 है० (20फुट गुणा 24.75 फुट) वर्तमान चल रहा रास्ता स्वीकृत नहीं है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी न० 1 काफी लम्बे समय से स्वीकृत रास्ता से होते हुये उक्त रास्ता से अपने खेत में आवागमन करते आ रहे है । उक्त वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थी न० 1 को अपने खातेदारी रकबा में आने जाने बाधा है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी न० 1 व 2 की उक्त भूमि में वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी न० 1 व 2 उक्त जैरवाद रकबा को रास्ता में स्वीकृत करवाने हेतू सहमत है। प्रार्थी के रकबा में जाने के लिए उक्त जैरवाद वाद रकबा में चल रहा रास्ता ही आवागमन का माध्यम है। इसके अलावा प्रार्थी को अपने रकबा में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है । इसलिए प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 251 (क) एवं राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 68-70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में उक्त वाद में अंकित तथ्यों की चाही गई रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा बिन्दुवार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा तैयार कर भिजवाई गई।

रिपोर्ट के पश्चात प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी न0 1 व 2 जरिये अभिभाषक महेन्द्र कुमार, सुर्य प्रकाश चौहान उपस्थित हुये।

इसके पश्चात प्रार्थी के अभिभाषक एवं पेटोकार राज की बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से भूमि वाके चक 4 डी बी एन के खाता सं0 35/34 की कुल 3.833 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खाला खातेदारी भूमि, अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम से भूमि वाके चक 4 डी बी एन तहसील सूरतगढ के खाता सं0 28/26 के प0न0 53/279 मु0न0 55 के किला न0 1/1 में 0.016 है0, 10/2 में 0.016 है0, 11/1 में 0.016 है0, 20/2 में 0.016 है0 कुल 0.064 है0 नहरी खातेदारी भूमि, अप्रार्थी सं0 1 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 4 डी बी एन तहसील सूरतगढ के खाता सं0 36/35 की कुल 5.275 है0 नहरी मय खाला खातेदारी भूमि में 1/8 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। प्रार्थी को अपने रकबा में आवागमन के लिए चक 4 डी बी एन तहसील सूरतगढ के प0 न0 53/279 मु0न0 55 के किला न0 21 में चल रहे रास्ता से होते हुये अप्रार्थी सं0 1 व 2 की भूमि चक 4 डी बी एन तहसील सूरतगढ के प0न0 53/279 मु0न0 55 के किला न0 1/1 में 0.016 है0, 10/2 में 0.016 है0, 11/1 में 0.016 है0, 20/2 में 0.016 है0 कुल 0.064 है0 नहरी खातेदारी भूमि में चालू रास्ता से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के आवागमन कर रहा है। प्रार्थी की भूमि प0न0 53/278 के किला न0 21/1 में 0.004 है0 दक्षिण पासा (20फुट गुणा 24.75 फुट) से होकर अप्रार्थी न0 1 अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करता है। लेकिन वर्तमान चल रहा उक्त रास्ता स्वीकृत नहीं है। उक्त वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 1 को अपने खातेदारी रकबा में आने जाने बाधा है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी न0 1 व 2 की उक्त भूमि में वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने जबाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी सं0 1 व 2 को कोई उज्र व एतराज नहीं है।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से पढन व मनन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि वाके चक 4 डी बी एन के खाता सं0 35/34 की कुल 3.833 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता खाला खातेदारी भूमि को किसी भी प्रकार का कोई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 की भूमि वाके चक 4 डी बी एन तहसील सूरतगढ के प0न0 53/279 मु0न0 55 के किला न0 1/1 में 0.016 है0, 10/2 में 0.016 है0, 11/1 में 0.016 है0, 20/2 में 0.016 है0 कुल 0.064 है0 नहरी खातेदारी भूमि में चालू रास्ता से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के आवागमन कर रहा है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि प0न0 53/278 के किला न0 21/1 में 0.004 है0 दक्षिण पासा (20फुट गुणा 24.75 फुट) से होकर अप्रार्थी न0 1 अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करता है उक्त चालू रास्ता स्वीकृत किया जाना सही है। इसलिए उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी न0 1 व 2 की भूमि चक 4 डी बी एन तहसील सूरतगढ के प0न0 53/279 मु0न0 55 के किला न0 1/1 में 0.016 है0, 10/2 में 0.016 है0, 11/1 में 0.016 है0, 20/2 में 0.016 है0 कुल 0.064 है0 नहरी खातेदारी भूमि एवं प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके चक 4 डी बी एन के प0न0 53/278 के किला न0 21/1 में 0.004 है0 दक्षिण पासा (20फुट गुणा 24.75 फुट) भूमि को कलमजन कर गै0मु0 रास्ता के नाम अंकन करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
सूरतगढ (सा.सा.)
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

कमांक / राजस्व/शा.पत्र/ 51/25/ 4245

दिनांक :- 08.07.2024

तहसीलदार राजस्व

सूरतगढ

विषय:-प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) प्र० सं० 51/2025 अनवान पृथ्वी बनाम दुलीचन्द वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 08.07.25.....की पालना करने हेतु ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी न० 1 व 2 की भूमि वाके चक 4 डी बी एन तहसील सूरतगढ के प०न० 53/279 मु०न० 55 के किला न० 1/1 में 0.016 है० , 10/2 में 0.016 है०, 11/1 में 0.016 है०, 20/2 में 0.016 है० कुल 0.064 है० नहरी खातेदारी भूमि एवं प्रार्थी की भूमि वाके 4 डी बी एन के प०न० 53/278 के किला न० 21/1 में 0.004 है० दक्षिण पासा (20फुट गुणा 24.75 फुट) खातेदारी भूमि को कलमजन कर गै०मु० रास्ता के नाम अंकन करने का आदेश दिया जाता है। किसी समक्ष न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नही होने पर नियमानुसार स्वीकृत किये गये रास्ता का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाई जावे




सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राजस्व)
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)